संख्या- 76/2442/बयालिस-2015-117(विविध)/2014

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर, 2015

विषय- अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को उत्तर प्रदेश में राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों यथा ओलम्पिक, विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाले) एशियन गेम्स एवं कामनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रतिभाग करने, मनोबल बढ़ाने एवं प्रदेश में खेल के विकास के उद्देश्य से उक्त खेलों में पदक विजेताओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित नीति बनायी जाती है :-

(1)- यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेताओं को उत्तर प्रदेश में राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती नीति वर्ष- 2015 कहा जायेगा।

(2)- इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी उस खिलाड़ी को माना जायेगा :-

(क)- जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाइल) है।

(ख)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा स्पोर्टस हास्टल का कम से कम दो वर्ष तक छात्र रहा/रह चुका है।

(ग)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था की तरफ से अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका हो।

अथवा

जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त क्रीड़ा संघ/स्पोर्टस बोर्ड द्वारा नामित होकर राष्ट्रीय खेकलूद प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हो।

(3)- रिक्तियों की अवधारणा संगत चयन वर्ष के आधार पर की जायेगी। चयन वर्ष 01 जुलाई से आगामी 30 जून की अवधि होती है।

(4)- अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेतओं की नियुक्ति सम्बन्धित चयन वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को उत्तर प्रदेश में राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती पर चयन हेतु संस्तुति किये जाने हेतु निम्नवत समिति होगी :-

(I)-	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	-	अध्यक्ष
(II)-	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल, उत्तर प्रदेश शासन	-	सदस्य
(III)-	सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	-	सदस्य
(IV)-	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-	सदस्य
(V)-	निदेशक, खेल, उत्तर प्रदेश लखनऊ	-	सदस्य/सचिव

<u>(6)- अन्तर्राष्ट्रीय खेलों का वर्गीकरण :-</u>

<u>श्रेणी :- 1</u>

<u>(I)- वेतनमान- 15,600-39,100, पे बैंड- 3- ग्रेड वेतन- 5400 :-</u>

ओलम्पिक गेम्स में, स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता एवं विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) एशियन गेम्स/कामनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता।

<u>(II)- वेतनमान- 9300-34,800, पे बैंड- 2- ग्रेड वेतन- 4800 :-</u>

विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) एशियन गेम्स/कामनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता।

<u>श्रेणी- 2</u>

<u>(I)- वेतनमान- 9300-34,800, पे बैंड- 2- ग्रेड वेतन- 4600 :-</u>

<u>(II)- वेतनमान- 9300-34,800, पे बैंड- 2- ग्रेड वेतन- 4200 :-</u>

विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) एशियन गेम्स/कामनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता।

(7)- पदों का विवरण :- अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में चिन्हित पदों/वेतनमान में जिनका विवरण इस नियमावली के परिशिष्ट- 1 में वर्णित है पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रस्तर- 6 में गठित समिति की संस्तुति पर सम्बन्धित विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(8)- सम्बन्धित विभाग में उक्त खिलाडियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु पद की अनुपलब्धता की स्थिति में अधिसंख्य पद सृजित कर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

<u>(9)- योग्यताएँ :-</u>

(I)- उपरोक्त पैरा- 7 में वर्णित पदक विजेताओं को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अथवा उसके समकक्ष डिग्री।

(II)- भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाडियों को अनिवार्य/अधिमान्य अर्हताओं में छूट अथवा शिथिलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तर- 6 में वर्णित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

(III)- भर्ती किये जाने वाले पदक विजेताओं की यदि किसी ऐसे पद पर भर्ती की जाती है जिसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं सम्बन्धित पदक विजेता द्वारा नियुक्ति के समय धारित नहीं

http://shasanadesh.up.nic.in

की गयी है की दशा में सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त नियुक्ति किये जा रहे पदक विजेता खिलाड़ी को 04 वर्ष का समय उक्त अनिवार्य अर्हताएँ अर्जित किये जाने हेतु प्रदान किया जायेगा।

(IV)- भर्ती किये जाने वाले पदक विजेता खिलाडियों में वे खिलाड़ी जो निर्धारित योग्यता धारित करते है का परिवीक्षा काल वही होगा जो उक्त संवर्ग के लिए निर्धारित है।

परन्तु जिन पदक विजेता खिलाडियों के पास अनिवार्य शैक्षित योग्यता नहीं धारित है को उपरोक्त प्रस्तर- 3 में वर्णित व्यवस्थानुसार परीवीक्षा काल वांछित अनिवार्य योग्यता प्राप्त कर लेने पर अथवा अधिकतम 04 वर्ष होगा।

(10)- नियुक्ति प्रक्रिया :-

समय-समय पर खेल निदेशक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडियों को सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्त किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा अथवा उक्त श्रेणी के खिलाडियों के सीधे आवेदन खेल निदेशक अथवा शासन में प्राप्त होने पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्तर- 6 में वर्णित भर्ती समिति द्वारा 02 माह के भीतर विचार करते हुए अपनी संस्तुति प्रदान की जायेगी। उक्त संस्तुति प्राप्त होने पर खेल विभाग द्वारा समिति की संस्तुति को सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जायेगा। चयनित पदक विजेता खिलाडियों को उपलब्ध पद अथवा अधिसंख्य पद पर नियुक्ति 01 माह के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।

(11)- पदोन्नति :-

(I)- नियुक्ति पदक विजेतओं को पदोन्नति के अवसर उसी प्रकार उपलब्ध होगें जिस प्रकार उस संवर्ग के अन्य कार्मिकों को उपलब्ध होंगे। अधिसंख्य पद की दशा में उक्त पद हेतु निर्धारित प्रोन्नति समय पर उक्त अधिसंख्य पद प्रोन्नत पद के वेतनमान में स्वतः हस्तांतरित हो जायेगा।

(II)- जिन खिलाडियों द्वारा राजपत्रित पदों पर नुियक्ति के दौरान एक्टिव खिलाड़ी के रूप में पुनः उप प्रस्तर- (6) में उल्लिखित प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित किया जाता है तो ऐसे खिलाडियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी। इस प्रकार अधिकतम 05 बार यह अवसर प्रत्येक पदक विजेता को प्रदान किया जा सकेगा।

(III)- जिन खिलाडियों द्वारा नियुक्ति के उपरान्त पुनः उप प्रस्तर- (6) में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर पूर्व से उच्च स्तर का पदक प्राप्त किया जाता है तो उन्हें पुनः इस नीति के तहत उच्च वेतनमान/विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने का अवसर प्राप्त होगा।

(12)- कर्तव्य एवं दायित्व :-

(I)- नियुक्ति हेतु चयनित पदक विजेता खिलाडियों द्वारा चयनित पद के कार्य एवं दायित्वों का सामान्य रूप से निवर्हन किया जायेगा।

(II)- खिलाड़ी को जिस पद पर नौकरी प्रदान की जायेगी वे उस पद का कार्य करेंगे।

(III)- विभाग द्वारा यथा शक्ति यह प्रयास किया जायेगा कि उक्त पदक विजेता खिलाडियों का उपयोग खेलों के उन्नयन एवं विकास के लिए किया जाये और यदि वे नियुक्ति के समय एक्टिव खिलाड़ी होगें तो उन्हें नौकरी के प्रथम 05 वर्षों तक खेलते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13)- दिनांक 01.01.2014 एवं उसके पश्चात पदक जीतने वाले खिलाडियों को ही नौकरी दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

(14)- इस नीति के अन्तर्गत जिन राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी वे पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर प्राविधानित किये जायेंगे।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- (1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)- प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3)- प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4)- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5)- प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6)- प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7)- प्रमुख सचिव/सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8)- प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9)- प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10)- प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रोग्राम।

O.P. Pandey
28/X/15

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेतओं को उत्तर प्रदेश में राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में चिन्हित विभाग एवं वेतनमान तथा पदों का विवरण।

क्र0सं0	विभाग का नाम	वेतनमान	पे-बैड़	पद	योग्यता
01	02	03	04	05	06
01-	ग्राम्य विकास	15,600-39,100 ग्रेड पे- 5400	03	04 पद खण्ड विकास अधिकारी	स्नातक या समकक्ष डिग्री
02-	नगर विकास	(क)-15,600-39,100 ग्रेड पे- 5400 (ख)-9300-34,800 ग्रेड पे- 4600	03 02	07 पद क्रीड़ाधिकारी 07 पद सहायक क्रीड़ाधिकारी	स्नातक या समकक्ष डिग्री
03-	माध्यमिक शिक्षा विभाग	(क)-15,600-39,100 ग्रेड पे- 5400 (ख)-15,600-39,100 ग्रेड पे- 5400	03 3	01 पद जिला बेसिक शिक्षाधिकारी 02 पद सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक	स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री
04-	गृह विभाग	15,600-39,100 ग्रेड पे- 5400	03	07 पद पुलिस उप अधीक्षक	स्नातक या समकक्ष डिग्री
05-	पंचायतीराज विभाग	15,600-39,100 ग्रेड पे- 5400	03	02 पद जिला पंचायन राज अधिकारी	स्नातक या समकक्ष डिग्री
06-	खेल विभाग	15,600-39,100 ग्रेड पे- 5400	03	09 पद क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी	स्नातक या समकक्ष डिग्री/कम से कम अन्तर विश्व विद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग
07-	ऊर्जा विभाग	9,300-34,800 ग्रेड पे- 4800	02	01 पद क्रीड़ाधिकारी 01 पद सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	स्नातक या समकक्ष डिग्री/राष्ट्रीयअन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं खेलों के आयोजन का 02 वर्ष का अनुभव, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी हेतु स्नातक एवं पत्राकारिता एवं जन सम्पर्क में उपाधि।

http://shasanadesh.up.nic.in

08-	युवा कल्याण विभाग	9,300-34,800 ग्रेड पे- 4800	02	02 पद जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	स्नातक या समकक्ष डिग्री
09-	परिवहन विभाग	9,300-34,800 ग्रेड पे- 4600	02	02 पद यात्री/माल कर अधिकारी	स्नातक या समकक्ष डिग्री
10-	वन विभाग	9,300-34,800 ग्रेड पे- 4200	02	02 पद क्षेत्रीय वन अधिकारी	गणित, विज्ञान, कृषि अथवा वनस्पति विज्ञान एवं सांख्यिकी विषय से स्नातक या समकक्ष डिग्री
11-	राजस्व विभाग	9,300-34,800 ग्रेड पे- 4200	02	02 पद नायब तहसीलदार	स्नातक या समकक्ष डिग्री
			योग:-	49 पद	

http://shasanadesh.up.nic.in